

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

उपखण्ड कार्यालय बिजौलियाँ

- 1- धापा देवी पत्नि हनुमान सहाय जाति बागोरिया उम्र वयस्क निवासी मकान नंबर I.T. 17 मण्डी खटीकान जयपुर जिला जयपुर (राज0)

--प्रार्थीया

बनाम

- 1- मांगु पुत्र गज्जा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी बिलोनाबड़ी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- भु-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

--विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भु. राजस्व अधिनियम

महोदयजी,

उक्त अनवान में मैं धापा देवी पत्नि हनुमान सहाय जाति बागोरिया उम्र वयस्क निवासी मकान नंबर I.T. 17 मण्डी खटीकान जयपुर जिला जयपुर (राज0) निम्न प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता हूँ कि :-

- 1- यह है कि मौजा ग्राम बिलोनाबड़ी पटवार क्षेत्र आरोली भु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 27 आराजी नंबर 143/70 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, आराजी नंबर 144/71 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, आराजी नंबर 145/121 रकबा 0.0243 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भुमि खातेदार धापा देवी पत्नि हनुमान सहाय जाति बागोरिया उम्र वयस्क निवासी मकान नंबर I.T. 17 मण्डी खटीकान जयपुर जिला जयपुर (राज0) के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड होकर हमारे उपयोग उपभोग में चली आ रही है। जिसका लगान राज्य सरकार में जमा कराता आ रहा हूँ।
- 2- यह है कि विपक्षीगण उक्त आराजी के पडोसी होकर सीमा के सम्बन्ध में विवाद करते रहते हैं तथा जबरन उक्त भूमि पर आधीपत्य करना चाहते हैं जिससे भविष्य में सीमा विवाद को लेकर ओर भी मुकदमें बाजी बढने की सम्भावाना है ऐसी स्थिति में उक्त आराजीयात की

धापा देवी

- मौके पर पत्थरगडी की जाना आवश्यक है। ताकी शीमा समान होकर कारत की जा सकें।
- 3- यह है कि प्रार्थी को विपक्षीगण द्वारा कारत में दखल होने के उसकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड रहा है तथा परिणाम गरण पोषण में काफी परेशानी उत्पनी पड रही है।
- 4- यह है कि प्रार्थी पत्थरगडी करवाने हेतु नियमानुसार शुल्क करवाने को तैयार है एवं प्रार्थनापत्र बाबत पत्थरगडी वांछित शुल्क पर प्रस्तुत है एवं प्रार्थनापत्र की तार्ईद में जमाबन्दी की मय शपथपत्र के प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थनापत्र की कॉलम संख्या विर्णित मौजा ग्राम बिलोनाबडी पटवार क्षेत्र आरोली मु-अंभिल निरिक्षक क्षेत्र सलावाटिया तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाना सं 27 आराजी नंबर 143/70 रकबा 0.0486 हैक्टयर, आराजी 144/71 रकबा 0.0890 हैक्टयर, आराजी नंबर 145/121 र 0.0243 हैक्टयर कुल कित्ता 3 रकबा 0.1619 हैक्टयर भूमि खाने धापा देवी पत्नि हनुमान सहाय जाति बागोरिया उग्र कर्षी निवासी मकान नंबर I.T. 17 मण्डी खटीकान जयपुर नि जयपुर (राज0) के नाम पर खातेदारी भूमि की पत्थरगडी बसाम विपक्षीगण कराई जाने बाबत तहसीलदार बिजौलियाँ के नाम श्री करमावें।

दिनांक :- 6/5/25

न्याया देवी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 106/25-

तारीख दायर 7/5/25

प्रेषित :-
तहसीलदार
बिजौलियाँ

फैसल :- 30/6/25

विषय :- प्रकरण संख्या 106 प्रथमरादी बाबत।

1- धापा देवी पति हनुमान सहाय जाति बागोरिया उग्र वयस्क निवासी मकान नंबर I.T. 17 मण्डी खटीकान जयपुर जिला जयपुर (राज0)

--प्रार्थिया

बनाम

1- मांगु पुत्र गज्जा जाति बंजारा उग्र वयस्क निवासी बिलोनाबड़ी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

2- मु-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

--विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तगत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम बिलोनाबड़ी पटवार क्षेत्र आरोली मु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावाटिया तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 27 आराजी नंबर 143/70 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, आराजी नंबर 144/71 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, आराजी नंबर 145/121 रकबा 0.0243 हैक्टेयर कुल कित्ता 3 रकबा 0.1619 हैक्टेयर मुमि की बशमलात पड़ोसीयान के पथरगादी की जावें। मौके पर पथरगादी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पथरगादी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पथरगादी हेतु मु-अभिलेख निरीक्षक सलावाटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौके पर प्रार्थिया अदा करेंगा। पथरगादी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणों को सूचित करते हुए पथरगादी करें। पथरगादी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
शिफिर प्रभासी

नौकरा भीलवाड़ा उपखण्ड
राज्य सरकार 2025, बिजौलियाँ